दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली

सुरक्षित:13.04.2022
निर्णय सुनाया गया:04.07.2022

\+ रि.या.(फौ.) 1279/2021 और आप.वि.अ. 10847/2021

जॉनसन जैकब .....याचिकाकर्ता

द्वारा: डॉ. आलोक, श्री सिद्धार्थ नारंग, सुश्री आंचल बुधराजा, श्री रोहित कुमार, सुश्री गितिका शर्मा और सुश्री स्मृति वाहा, अधिवक्तागण

बनाम

राज्य प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री नंदिता राव, अति.स्था.अधि. (सीआरएल) जीएनसीटीडी

कोरमः
माननीय न्यायाधीश श्री जसमीत सिंह

निर्णय

जसमीत सिंह, न्या.

1. वर्तमान रिट याचिका, आरोप और आरोप तय करने से संबंधित दिनांक 10.03.2021 के आदेश को रद्द करने और अपास्त करने की मांग करते हुए दायर की गई है, जिसे माननीय विशेष न्यायाधीश (पीसी अधिनियम) एसीबी-01, राउज़ एवेन्यू कोर्ट्स, दिल्ली द्वारा पारित किया

गया था। जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7/13(1)(डी) एवं 13(2) के तहत आरोप तय किए गए हैं।

2. याचिका के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि शिकायतकर्ता श्री रवनीत सिंह ने 12.01.2014 को अपने लिए शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन किया है और अभियुक्त (यहां याची) उप.नि. जॉनसन जैकब, जिनका मोबाइल नं. 7503075999 है, इस संबंध में पूछताछ के लिए उनके आवास पर गए।

3. शिकायत में आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने शस्त्र लाइसेंस की मंजूरी हेतु अपनी रिपोर्ट भेजने के लिए शिकायतकर्ता से 20,000/- रुपये की रिश्वत देने के लिए कहा और कुछ बातचीत के बाद याचिकाकर्ता ने राशि कम कर के 10,000/- कर दिया। इस प्रकार, शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता को 1,000/- रुपये की राशि सौंपी, बातचीत को रिकॉर्ड किया और उसकी एक सीडी बाद में प्रदान की।

4. यह भी आरोप है कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता से शाम को थाना विकासपुरी में मिलने के लिए संपर्क किया ताकि 9,000/- रुपये की शेष राशि ली जा सके।

5. 15.01.2014 को, इस शिकायत को जांच के लिए इंस्पेक्टर बी. के. सिंह के पास भेजा गया। इंस्पेक्टर बी. के. सिंह ने पंचगवाह श्री करमचंद पुत्र श्री काशीराम, यूडीसी, उद्योग विभाग, 419, एफआईई पटपड़गंज, नई दिल्ली की उपस्थिति में शिकायत में उल्लिखित तथ्यों की पुष्टि की।

6. तत्पश्चात, छापेमारी की कार्यवाही के दौरान, इंस्पेक्टर राकेश कुमार के निर्देश पर, शिकायतकर्ता श्री रवनीत सिंह ने याचिकाकर्ता को उसकी मांग पर फेनोल्फथेलिन पाउडर लगे 9,000/- रुपये के जीसी नोट सौंपे।

7. इसके बाद, अभियुक्त/याचिकाकर्ता की जामा तलाशी पर 500 रुपये के 10 जीसी नोट और 1,000 रुपये के 4 नोट, अर्थात कुल 9,000 रुपये की राशि उसके दाहिने हाथ से बरामद की गई और बरामद किए गए करेंसी नोटों की क्रम संख्या, पूर्व-छापा कार्यवाही में नोट किए गए क्रमांकों से मिलाया गया।

8. अभियुक्त के दाहिने हाथ को सोडियम कार्बोनेट घोल में डाला गया जो गुलाबी रंग का हो गया और फिर इसे दो बोतलों में जब्त कर लिया गया और मामले के सभी प्रदर्शों को कब्जे में ले लिया गया।

9. जांच के दौरान याचिकाकर्ता से पूछताछ की गई और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच के बाद आरोप तय किए गए और अभियुक्त /याचिकाकर्ता को तलब किया गया। दलीलें सुनने *के* बाद, आदेश दिनांक 10.03.2021 के माध्यम से, विशेष न्यायाधीश (पीसी अधिनियम), एसीबी-01, राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली ने याचिकाकर्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7/13 के तहत आरोप तय किए।

10. इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने आरोप से संबंधित दिनांक 10.03.2021 के आदेश को रद्द करने और अपास्त करने के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया। दो आधार, जिन पर याचिकाकर्ता दिनांक 10.03.2021

के आदेश को रद्द करने की मांग करते हैं वह निम्न प्रकार हैं:-

(i) यह कि याचिकाकर्ता को विभागीय कार्यवाहियों में दोषमुक्त कर दिया गया है और सर्वोच्च न्यायालय के 2020 (9) एससीसी 636 शीर्षक *"आशू सुरेंद्रनाथ तिवारी बनाम पुलिस उपाधीक्षक, ईओडब्लू, सीबीआई एवं एक अन्य", (2020) 9 एससीसी 636* के फैसले के अनुसार, याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रह सकती।

(ii) यह कि याचिकाकर्ता दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक है और इस प्रकार दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के पास गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली दिल्ली पुलिस में काम करने वाले उप निरीक्षक के खिलाफ अपराध की जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

11. याचिकाकर्ता का निवेदन है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही और प्राथमिकी के आरोप एक दूसरे का प्रतिबिम्ब हैं और इस प्रकार याचिकाकर्ता को अनुशासनात्मक जांच में दोषमुक्त कर दिया गया है, इसलिए उसे आपराधिक कार्यवाही में दोषी नहीं ठहराया जा सकता. तुलनात्मक आरोप निम्न प्रकार हैं:

<u>आरोप</u>

प्राथमिकी	विभागीय जांच
➢ 15 जनवरी, 2014 को शिकायतकर्ता श्री रवनीत सिंह ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को उप.नि. जॉनसन जैकब के खिलाफ लिखित शिकायत	➢ यह कि विकासपुरी थाना में तैनात रहते हुए, उप.नि. जॉनसन जैकब को श्री रवनीत सिंह को शस्त्र

दी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने अपने लिए शस्त्र लाइसेंस लेने के लिए आवेदन किया था।	लाइसेंस प्रदान करने के लिए तथ्यों की जांच करने का काम सौंपा गया था।
➢ 12 जनवरी, 2014 को उप.नि. जॉनसन जैकब जांच के लिए शिकायतकर्ता के आवास पर आए और 13 जनवरी, 2014 को उप.नि. जॉनसन जैकब ने शिकायतकर्ता को थाने आने को कहा।	➢ यह कि उप.नि. जॉनसन जैकब ने 12 जनवरी, 2014 को श्री रवनीत सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें सत्यापन के लिए 13 जनवरी, 2014 को पुलिस स्टेशन बुलाया।
➢ शिकायतकर्ता थाने गया और उससे 20,000 रुपये रिश्वत के रूप में मांगे गए। शिकायतकर्ता ने राशि कम करने के लिए कहा और यह सहमति हुई कि वह उप.नि. जॉनसन जैकब को 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करेगा। शिकायतकर्ता ने उसे 1,000 रुपये का भुगतान किया।	➢ यह आरोप लगाया गया था कि उप.नि. जॉनसन जैकब ने शस्त्र लाइसेंस हेतु श्री रवनीत सिंह की रिपोर्ट को मंजूरी देने के लिए रिश्वत के रूप में 20,000 रुपये की मांग की थी और इस पर बाद वाले पक्ष द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी।
➢ शिकायतकर्ता ने बातचीत रिकॉर्ड की, जिसमें उसे शाम को आने और 9,000 रुपये की लंबित राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया।	रिश्वत की मांग की बातचीत श्री रवनीत सिंह द्वारा अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन इसे प्रमाणित नहीं किया जा सका।

	➢ 15 जनवरी, 2014 को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा मौके पर ही उप.नि. जॉनसन जैकब को रंगे हाथों पकड़ा गया। उसके पास से 9,000 रुपये की रिश्वत बरामद की गई और फिर एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया
➢ फिर शिकायतकर्ता ने जा कर प्राथमिकी दर्ज कराई और उप.नि. जॉनसन जैकब के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।	

12. अनुशासनात्मक कार्यवाही को तकनीकी आधार पर नहीं बल्कि गुण-दोष के आधार पर रद्द कर दिया गया। कार्यवाही का प्रभावी भाग निम्नानुसार हैः

> *"पीडब्लू-1 ने गवाही दी कि उसने दोषी को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इस बात की अत्यधिक संभावना है कि दोषी शिकायतकर्ता के हाथों में करेंसी नोटों के संपर्क में आया हो। नोटों को जमीन पर पड़ा पाया गया और किसी ने उन्हें उठाया और उनके हाथों को जांच के लिए नहीं धोया गया। इन परिस्थितियों में, हैंड वॉश टेस्ट रिपोर्ट, प्रदर्श पीडब्ल्यू-18/ए कम महत्वपूर्ण हो जाता है।*
>
> *भ्रष्टाचार के मामले में, एक स्पष्ट मांग के बाद अवैध परितोषण की निर्विवाद स्वीकृति को संदेह से परे सिद्ध करने की*

आवश्यकता है। इस मामले में, शिकायतकर्ता ने स्वयं गवाही दी कि उन्होंने स्वयं समय पर अपने सत्यापन के लिए रिश्वत की पेशकश की और दोषी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ऊपर चर्चा की गई परिस्थितियों में, शिकायतकर्ता द्वारा मांग से सम्बंधित रिकॉर्डिंग दूषित और अविश्वसनीय प्रतीत होती है। यह तथ्य है कि दोषी ने छापे के दिन से काफी पहले 14.01.2014 को सत्यापन पूरा कर लिया था। शिकायतकर्ता ने स्वयं अभिसाक्ष्य दिया कि छापे के स्थान पर, उसने मुद्रा देने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ और सामान जमीन पर गिर गया। टीम के एक सदस्य ने जमीन से मुद्रा एकत्र किया। उन्होंने इसकी गिनती भी नहीं की और मूल्य-वर्ग निश्चित नहीं है। किसी भी पीडब्ल्यू ने यह अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि दोषी के कब्जे से करेंसी नोट बरामद किए गए थे।

ईओ ने दोषी पर आरोप के संदर्भ में इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर बारीकी से विचार किया है और यह निष्कर्ष निकालते हुए कार्यवाही समाप्त की है कि दोषी पर आरोप प्रतिस्थापित नहीं किया गया है।

वर्तमान मामले से संबंधित सम्पूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि जांच अधिकारी ने दोषी के खिलाफ आरोपों को सही तरीके से साबित नहीं किया है/ जांच अधिकारी ने दोषी के खिलाफ आरोपों को सही साबित नहीं किया है। इसलिए, जांच अधिकारी द्वारा निकाले गए *निष्कर्ष से सहमत होकर, मैं, हरीश एचपी, पुलिस उपायुक्त, सातवीं बटालियन, डीएपी, दिल्ली, उप.नि. (एक्स) जॉनसन जैकब नं. डी-4883 को आरोप से बरी करता हूँ, और*

उसके खिलाफ विभागीय जांच एतद्वारा दाखिल की जाती है."

13. भ्रष्टाचार के मामले में, स्पष्ट मांग के बाद अवैध परितोषण की निर्विवाद स्वीकृति को संदेह से परे सिद्ध करने की आवश्यकता है। इस मामले में, शिकायतकर्ता ने खुद विभागीय जांच के दौरान अभिसाक्ष्य दिया कि उसने समय पर अपने सत्यापन के लिए रिश्वत की पेशकश की और याचिकाकर्ता ने इसे ठुकरा दिया। शिकायतकर्ता द्वारा मांग की रिकॉर्डिंग और बाद में प्राथमिकी दर्ज करना उपरोक्त चर्चा की गई परिस्थितियों में दूषित और अविश्वसनीय प्रतीत होती है।

14. उपर्युक्त विभागीय जांच से, यह कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने स्वयं अभिसाक्ष्य दिया कि छापे के स्थल पर, उसने मुद्रा देने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा करने में सफल नहीं हुआ और पैसा जमीन पर गिर गया। छापे के बाद ही टीम के एक सदस्य ने जमीन से मुद्रा एकत्र की। उन्होंने इसकी गिनती भी नहीं की और मूल्य-वर्ग निश्चित नहीं है। आगे कहा गया कि मुद्रा की गिनती भी नहीं की गई थी और यह निश्चित नहीं था कि यह कभी भी याचिकाकर्ता के हाथों में था।

15. मेरे सामने यह तर्क दिया गया है कि विभागीय कार्यवाहियों में सबूत का मानक संभाव्यता की प्रबलता/प्रधानता पर आधारित है, जो आपराधिक कार्यवाहियों में सबूत के मानक से कम है, जहां मामले को उचित संदेह से परे साबित किया जाना है।

16. यदि विभाग अपनी विभागीय कार्यवाही में आरोपों को साबित करने में समर्थ नहीं रहा है, जहां परीक्षण कम है, तो यह मानना तर्कसंगत है कि आरोप आपराधिक कार्यवाही में साबित नहीं होंगे।

17. *'राधेश्याम केजरीवाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य', (2011) 3 एससीसी 581* में, जिसे बाद में *"आशु सुरेंद्रनाथ तिवारी बनाम पुलिस उपाधीक्षक" (पूर्वोक्त)* के फैसले द्वारा पुष्ट किया गया था, व्यापक सिद्धांतों को निम्नानुसार निकाला गया था।

> *38. इन निर्णयों से जो अनुपात निकाला जा सकता है, उसे मोटे तौर पर निम्नलिखित रूप में कहा जा सकता है*
>
> *(i) अधिनिर्णय की कार्यवाही और आपराधिक अभियोजन एक साथ शुरू किया जा सकता है*
>
> *(ii) आपराधिक अभियोजन शुरू करने से पहले अधिनिर्णय की कार्यवाही में निर्णय लेना आवश्यक नहीं है*
>
> *(iii) अधिनिर्णय की कार्यवाही और आपराधिक कार्यवाही एक-दूसरे से अलग हैं*
>
> *(iv) अधिनिर्णय की कार्यवाही में अभियोजन का सामना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ निष्कर्ष आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही पर बाध्यकारी नहीं है*
>
> *(v) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अधिनिर्णय की कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 20(2) या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा अभियोजन नहीं है;*

[आशु] सुरेंद्रनाथ (पूर्वोक्त) के निर्णय का पैराग्राफ *7*

(vi) समान उल्लंघन के लिए मुकदमे का सामना कर रहे व्यक्ति के पक्ष में अधिनिर्णय की कार्यवाही में पाया गया निष्कर्ष, निष्कर्ष के स्वरुप पर निर्भर करेगा। यदि अधिनिर्णय की कार्यवाहियों में दोषमुक्ति तकनीकी आधार पर है और गुण-दोष के आधार पर नहीं, तो अभियोजन जारी रह सकता है, और

(vii) तथापि, दोषमुक्ति के मामले में, गुणा-दोष के आधार पर जहां आरोप बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं पाया जाता है और निर्दोष ठहराए गए व्यक्ति को तथ्यों और परिस्थितियों के एक ही प्रकार के आपराधिक अभियोजन जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, अंतर्निहित सिद्धांत आपराधिक मामलों में सबूत का उच्च मानक है।

अंत में यह निष्कर्ष निकाला गयाः

39. इसलिए हमारी राय में, मानदंड यह निर्धारित करने के लिए होगा कि क्या अधिनिर्णय की कार्यवाहियों और अभियोजन कार्यवाही में आरोप समान हैं और अधिनिर्णय कार्यवाही में संबंधित व्यक्ति की दोषमुक्ति गुण-दोष के आधार पर है। यदि गुण-दोष के आधार पर यह पाया जाता है कि अधिनिर्णय की कार्यवाही में अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, तो संबंधित व्यक्ति का विचारण अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

18. प्रत्यर्थी-राज्य की विद्वान अधिवक्ता सुश्री नंदिता राव ने राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) बनाम अजय *कुमार त्यागी (2012) 9 एस. सी. सी. 685 के निर्णय पर भरोसा करके पुलिस* उपाधीक्षक, ई. ओ. डब्ल्यू., सी. बी. आई. *एवं एक अन्य (पूर्वोक्त) के निर्णय में अंतर* बताने की मांग की है जिसमें निम्न प्रकार निर्णय दिया गया हैः

"24. अतः, हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने पी. एस. राज्य (पूर्वोक्त) के मामले में निर्णय को पूरी तरह से गलत समझ कर अभियोजन को खारिज कर दिया। वास्तव में, ऐसे उदाहरण हैं जिनको हमने ऊपर संदर्भित किया है, जो अर्थपूर्ण ढंग से विपरीत विचार व्यक्त करते हैं अर्थात् विभागीय कार्यवाहियों में स्वत: दोषमुक्ति किसी आपराधिक मामले में दोषमुक्ति नहीं होगी। ***सैद्धांतिक रूप से भी यह दृष्टिकोण हमारी सराहना करता है।*** *यह अच्छी तरह से स्थापित है कि विभागीय कार्यवाहियों में सबूत का मानक आपराधिक अभियोजन की तुलना में कम है। यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि विभागीय कार्यवाही या उससे संबंधित आपराधिक मामलों का निर्णय केवल उसमें पेश किये गए साक्ष्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। आपराधिक मामले में केवल साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद ही साक्ष्य की सत्यता को परखा जा सकता है और विभागीय कार्यवाही में साक्ष्य के आधार पर या उन साक्ष्यों पर आधारित जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक मामले को खारिज नहीं किया जा सकता है।*

25. इसलिए, हमारी राय है कि विभागीय कार्यवाही में स्वतः दोषमुक्ति से आपराधिक अभियोजन को निरस्त नहीं किया जा सकेगा। हालाँकि, हम यह जोड़ना चाहते हैं कि यदि किसी अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन केवल कार्यवाही में किसी निष्कर्ष पर आधारित है और वह निष्कर्ष वरिष्ठतम प्राधिकारी द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है तो उसका आधार ही समाप्त हो जाता है और अभियोजन को खारिज किया जा सकता है। लेकिन यह सिद्धांत विभागीय कार्यवाही के मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि आपराधिक मुकदमा और विभागीय कार्यवाही दो अलग-अलग

संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाती है। इसके अलावा वे समान पदानुक्रम में नहीं हैं।"

19. अजय त्यागी *(पूर्वोक्त)* का निर्णय *अलग* है क्योंकि इस निर्धारित विचार से कोई विवाद नहीं है कि विभागीय कार्यवाहियों में स्वत: दोषमुक्ति के *परिणामस्वरूप आपराधिक अभियोजन नहीं चलेगा। इसका कारण यह है* कि विभागीय कार्यवाही कई कारणों से रद्द की जा सकती है, जिसमें जांच अधिकारियों की अयोग्यता, प्रक्रियात्मक चूक, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन आदि जैसी कुछ तकनीकी बातें शामिल हैं।

20. हालांकि, मेरा मानना है कि जब विभागीय कार्यवाही और आपराधिक कार्यवाही एक-दूसरे का प्रतिबिम्ब हैं और अभियुक्त को विभागीय जांच में गुण-दोष के आधार पर दोषमुक्त किया गया है, न कि मामूली तकनीकी या अनियमितताओं के कारण, तो आपराधिक कार्यवाही को उन्ही तथ्यों और परिस्थितयों के आधार पर जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि विभागीय कार्यवाही में सबूत का मानक आपराधिक कार्यवाही में सबूत के मानक से बहुत कम है। यही सिद्धांत माननीय उच्चतम न्यायालय ने आशु सुरेंद्रनाथ तिवारी बनाम उप पुलिस उपाधीक्षक *(उपर्युक्त)* वाले मामले में निर्धारित किया है।

21. याचिकाकर्ता के दूसरे तर्क के संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने मेरा ध्यान *सरकार (एनसीटी दिल्ली) बनाम भारत संघ (2020) 12 एससीसी 259* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की ओर आकर्षित किया है,

जिसमें कहा गया हैः

"71) इसी प्रकार, जहां तक दानिक्स का संबंध है, निवेदन यह है कि दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली सिविल सेवा नियम, 2003 के अंतर्गत भी ऐसा ही परिणाम सामने आता है। निम्नलिखित नियमों को संदर्भित किया गयाः

11. सेवा में नियुक्ति -
सेवा में सभी नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-I या कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-II या सेवा के चयन ग्रेड या प्रवेश ग्रेड के लिए की जाएंगी, न कि सेवा में शामिल किसी विशिष्ट पद के लिए।

12. तैनाती-
किसी प्रशासन को आबंटित की गई सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब तक कि उसे किसी पूर्व-संवर्ग पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है, या लोक सेवा की अनिवार्यताओं के कारण ड्यूटी पद धारण करने के लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं है, संबंधित प्रशासक द्वारा प्रशासन के तहत ड्यूटी पद पर तैनात किया जाएगा।

13. सेवा के सदस्यों का आवंटन -
सरकार समय-समय पर सेवा के किसी सदस्य को किसी प्रशासन में नियुक्ति के लिए नियम 12 के अनुसार आबंटित करेगी।"

72) यह तर्क दिया गया है कि दानिक्स नियमों के तहत, नियम 2 (ए) के अनुसार, 'प्रशासन' का अर्थ जीएनसीटीडी है, नियम 2 (बी) के अनुसार 'प्रशासक' का अर्थ एनसीटीडी का प्रशासक है

और नियम 2(के) के अनुसार 'सरकार' का अर्थ भारत सरकार है। इस प्रकार, भारत सरकार ही नियम 13 के तहत जीएनसीटीडी को अधिकारी उपलब्ध कराती है, जबकि एनसीटीडी के भीतर उस दानिक्स अधिकारी की नियुक्ति प्रशासक द्वारा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर की जाती है।

78) उपरोक्त पुनः प्रस्तुत पक्षकारों की संबंधित दलीलों से यह स्पष्ट हो जाता है कि निम्नलिखित पहलू निर्विवाद हैं:

78.1 मामला 'सेवा' से संबंधित है जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा शामिल है। इसी तरह, दानिक्स और दानिप्स एनसीटीडी सहित विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली आम सेवाएं हैं।

78.2 ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं और प्रश्नगत कैडर केंद्र शासित प्रदेश कैडर है जो सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सामान्य है और दिल्ली उनमें से एक है। इसलिए यह कैडर केवल जीएनसीटीडी से संबंधित नहीं है। इस कैडर को गृह मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

78.3 इसमें कोई विवाद नहीं है कि जहां तक उपरोक्त सेवाओं से संबंधित कर्मियों के आवंटन का संबंध है, गृह मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार को आवश्यक आदेश पारित करने होते हैं। इसी तरह, केंद्र सरकार को ऐसे कर्मियों को एक केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरित करने का अधिकार है।

(108) प्रासंगिक रूप से, अपीलकर्ता प्रविष्टि 1,2 और 18 को छोड़कर सूची 2 की प्रविष्टियों के साथ-साथ सूची 3 के सभी विषयों के संबंध में अनन्य कार्यकारी शक्ति चाहता है। इस संबंध में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता का तर्क यह है कि संविधान पीठ ने ऐसा निर्णय लिया है। हालांकि, जब सूची 2 प्रविष्टि 2 में अपवर्जित मामले की बात आती है, तो भले ही एनसीटीडी की शक्तियां पूरी तरह से अपवर्जित हैं, लेकिन *अप्रत्यक्ष तरीके से अपीलकर्ता उसी पर समवर्ती क्षेत्राधिकार चाहता है। ऐसे दृष्टिकोण को स्वीकार करना करना कठिन होगा। यह उल्लेख करना भी उचित है कि जहां तक 08 नवंबर, 1993 की अधिसूचना का संबंध है, जिसके तहत उपराज्यपाल द्वारा पुराने सचिवालय में एनसीटीडी के एसीबी को पुलिस स्टेशन के रूप में बनाया गया था, उसे चुनौती नहीं दी गई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उस समय कोई निर्वाचित सरकार नहीं थी। तथ्य यही है कि इसके बाद भी यह अधिसूचना जारी रही है। आक्षेपित अधिसूचनाएं केवल उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 8-11-1993 में एक सीमित सीमा तक संशोधन हैं जिसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यह पूर्व अधिसूचना केवल उस सरकार (जीएनसीटीडी) के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगी।* ***इस प्रकार, एकमात्र प्रभाव यह है कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत एसीबी के पास केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अपराधों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसलिए, यह क्षेत्राधिकार के द्विविधता और संघर्ष को भी समाप्त करता है।***

115) इस प्रकार, हम दिनांक 23.07.2014 और 21.05. 2015 की

अधिसूचनाओं की वैधता को सही ठहराते हैं।"

22. गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.05.15 को पारित अधिसूचना का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

> *"एंटी करप्शन ब्रांच पुलिस स्टेशन, केंद्र सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों और पदाधिकारियों के खिलाफ अपराधों का संज्ञान नहीं लेगा।"*

23. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि कार्यविधि सम्बन्धी कानून अपने प्रभाव में पूर्वव्यापी हैं जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो. इस प्रकार, एसीबी केंद्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित अपराधों की जांच नहीं कर सकता, अर्थात यहां याचिकाकर्ता गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और एसीबी द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई अस्वीकार्य और कानून के विपरीत होगी।

24. दूसरी ओर, सुश्री नंदिता राव ने इस न्यायालय द्वारा रि.या. (आप.) 1147/2015 दिनांक 27.05.2015 में पारित 'प्रेम चंद बनाम भारत संघ एवं अन्य' के फैसले की ओर मेरा ध्यान खींचा है, जिसमें सरकार (एनसीटीडी) बनाम भारत संघ में याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा की गई 2015 की अधिसूचना को सही ठहराया गया है।

25. प्रेम चंद बनाम भारत संघ (पुर्व्वोक्त) के फैसले में स्पष्ट रूप से यह माना गया है कि मई, 2015 की अधिसूचना, अधिसूचना में ही दिए गए अपवाद के मद्देनजर पूर्वव्यापी नहीं है, जो निम्नानुसार हैः

"3. याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया है कि दिनांक 21.05.2015 की उक्त अधिसूचना का पूर्वव्यापी प्रभाव है और इसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार निरोधक शाखा पुलिस स्टेशन द्वारा की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को दोषसिद्धि और सजा देना अस्वीकार्य और कानून के विपरीत है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता (आपराधिक), श्री महाजन, दिनांक 21.05.2015 की उक्त अधिसूचना के पैरा 3 की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते हैं, जो निम्नानुसार हैः

*"अधिसूचना पहले की अधिसूचना संख्या एस.ओ.853(ई) [फ.सं.यू-11030/2/98-यूटीएल] दिनांक 24 सितंबर, 1998 का स्थान लेती है, सिवाय उन चीजों के संबंध में जो इस तरह के **अधिक्रमण** से पहले की गई हैं या छोड़ी गई हैं।*

*5. श्री महाजन का निवेदन यह है कि दिनांक 21.05.2015 की अधिसूचना में ही स्पष्ट किया गया है कि उक्त अधिसूचना पहले की अधिसूचना संख्या एस.ओ.853(ई) [फ.सं.यू-11030/2/98-यूटीएल] दिनांक 24 सितंबर, 1998 का स्थान लेती है, सिवाय उन चीजों के संबंध में जो इस तरह के **अधिक्रमण** से पहले की गई हैं या छोड़ी गई हैं।"*

26. *अनिल कुमार बनाम जीएनसीटी, दिल्ली* (2015) एससीसी ऑनलाइन डेल 9633 में इस न्यायालय *की एक समकक्ष पीठ द्वारा भी* यह माना गया है किः

"66. वर्तमान अर्जी में निर्णय सुरक्षित रखे जाने के बाद, गृह

मंत्रालय ने दिनांक 21.05.2015 को अधिसूचना संख्या एसओ 1368 (ई) जारी की है, जिसके द्वारा दिनांक 08.11.1993 की अधिसूचना में और भी संशोधन किया गया है और अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया/कहा गया है कि "एसीबी पुलिस स्टेशन केंद्र सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों और पदाधिकारियों के खिलाफ अपराधों का कोई संज्ञान नहीं लेगा"। मेरे विचार से, चूंकि संघ के पास सातवीं अनुसूची की सूची-III की प्रविष्टि 1 और 2 में दिए गए मामलों के संबंध में कार्रवाई करने का ***कार्यकारी अधिकार*** *नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा 21.05.2015 को जारी किया गया आगे का कार्यकारी आदेश भी संदिग्ध है।*

67. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, आवेदक का यह निवेदन कि जीएनसीटीडी की एसीबी के पास शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई करने की क्षमता या अधिकार क्षेत्र नहीं है, अस्वीकार किया जाता है। चूंकि आवेदक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नागरिकों की सेवा करने वाला दिल्ली पुलिस का एक कर्मी है और दिल्ली पुलिस के कर्मियों के कार्य काफी हद तक और मुख्य रूप से जीएनसीटीडी के मामलों से संबंधित हैं, मेरे विचार से, जीएनसीटीडी की एसीबी के पास दिल्ली पुलिस अधिकारी अथवा कर्मचारी के संबंध में पीसी अधिनियम के तहत किसी शिकायत पर विचार करने और कार्रवाई करने तथा अपराध की जांच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है। यह ऊपर दिए गए पैरा 1.5.2(बी) में वर्णित सीवीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप भी होगा।

68. *मुझे श्री कृष्णन के इस निवेदन में भी दम दिखाई देता है*

कि ए. सी. शर्मा (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में, जीएनसीटीडी के एसीबी द्वारा प्रश्नगत अपराध की निरंतर जांच से अंतिम विचारण दूषित नहीं होगा। इस संबंध में, डॉ. जी. एस. आर. सोमैयाजी बनाम राज्य द्वारा सी. बी. आई., (2002) सी. आर. एल. एल *जे. 795 को भी संदर्भित किया जा सकता है।"*

27. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, याचिकाकर्ता इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि एसीबी के पास उनसे की गई शिकायत के आधार पर उसके मामले की जांच करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। भ्रष्टाचार का आरोपी केंद्र सरकार का कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा उसकी जांच न करने की तकनीकी बात से बच नहीं सकता। जब किसी प्रभारी प्राधिकारी को कोई शिकायत की जाती है तो यह उस प्राधिकारी का कर्तव्य है कि वह उक्त आरोपों की विधिवत जांच करे। वे उचित विचार-विमर्श/परिश्रम के बाद इस मामले को संबंधित प्राधिकारी को हस्तांतरित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें शिकायत दर्ज करते समय इसकी जांच करने का अधिकार है।

28. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, मैं मुद्दा संख्या (ii) पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से सहमत होने में असमर्थ हूं, अर्थात् चूंकि याचिकाकर्ता दिल्ली पुलिस में एक उप निरीक्षक है, इसलिए दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को गृह मंत्रालय के तहत आने वाली दिल्ली पुलिस में काम करने वाले उप निरीक्षक के खिलाफ अपराध की

जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

29. लेकिन, चूंकि मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता का मामला पहले तर्क के दायरे में आता है और उसे विभागीय मामले में बरी कर दिया गया है और इसके अलावा, याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की आवश्यकता दिखाने के लिए अभिलेख पर कोई पर्याप्त तथ्य नहीं है, इसलिए याचिका को स्वीकार किया जाता है और माननीय विशेष न्यायाधीश (पीसी अधिनियम) सीबीआई, राउज़ एवेन्यू कोर्ट्स, दिल्ली द्वारा पारित आरोप से संबंधित आदेश दिनांक 10.03.2021 तथा उससे उत्पन्न बाद की सभी कार्यवाही को एतदद्वारा अपास्त किया जाता है।

जसमीत सिंह, न्या

04 जुलाई, 2022/ 'डीएम'

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*